170

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 212—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—12—2015 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार मुरैना के प्रकरण क्रमांक 159/2014—15/बी—121

.....

कैलाश नारायण पुत्र श्री महादेव
निवासी—ग्राम लालौरकला, तहसील व
जिला—मुरैना, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

सीताराम शर्मा पुत्र श्री हुकुमसिंह शर्मा
हाल निवास—रामनगर, मुरैना, तहसील व
जिला—मुरैना, म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया एवं श्री संतोष शर्मा, अभिभाषक,अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 18-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—12—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ललौर कलां स्थित सर्वे क्रमांक 90, 91, 92, 93, 95 एवं 96 कुल किता 6 रकबा 2.143 हैक्टर दर्ज है। जिसमें अनावेदक ने उक्त सर्वे क्रमांक में से विक्रेता बेनीराम पुत्र बेदरिया व आवेदक कैलाश नारायण पुत्र महादेव से स्व हिस्सा 1/12 व 1/24 क्रय किया, जिसका नामांतरण पंजी 126 दिनांक 05.03.1982 तथा आदेश दिनांक 01.09.1982 से अनावेदक के बजाय आवेदक के नाम भाग 1/12 व 1/24 पर नामांतरण स्वीकार किया गया है। उक्त सर्वे क्रमांक में से आवेदक कैलाश नारायण के स्थान

पर अनावेदक के नाम पटवारी अभिलेख खसरा पांचसाला में इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही करने हेतु अनावेदक द्वारा तहसीलदार मुरैना के न्यायालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस परं आवेदक द्वारा आपत्ति अन्तर्गत धारा 32 रै.को. एवं धारा 151 के तहत आवेदन–पत्र तहसील न्यायालय में पेश किया गया। तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 159/2014–15/बी–121 पंजीबद्ध किया गया तथा पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 से आवेदक द्वारा आपत्ति अन्तर्गत धारा 32 रै.को. एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र निरस्त किया जाकर अनावेदक के हित में नामांतरण स्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अनावेदक के द्वारा लगभग 33 वर्ष बाद नामांतरण पंजी क्रमांक 126 दिनांक 05.03.1982 आदेश दिनांक 01.09.1982 के संबंध में संशोधन प्रविष्टी हेतु आवेदन पत्र पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा 32 रै.को. एवं धारा 151 सी.पी.सी. निरस्त करना विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधिकारहित है । उक्त नामांतरण पंजी पर किये गये नामांतरण में आम इश्तहार का विधिवत न होना तथा हितधारी व्यक्ति एवं आवेदक को सूचनापत्र दिये बिना नामांतरण पंजी पर किया गया नामांतरण आदेश शून्य है। आवेदक के स्थान पर अन्य व्यक्ति को खड़ाकर अनावेदक ने वर्ष 1978 में विक्रयपत्र के आधार पर अपना नामांतरण करा लिया था। वर्तमान में 33 वर्षों के पश्चात् आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व से हटाये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने का उपरोक्त कारणों से कोई अधिकार नहीं था। इस आवेदन के साथ विलम्ब के लिये न तो आवेदन ही दिया और न ही कोई शपथ–पत्र ही प्रस्तुत किया। इस कारण उक्त आवेदन पत्र को विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टि निरस्त किया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनावेदक ने विवादित भूमि को न तो आवेदक से क्रय किया है और न ही उसने कोई प्रतिफल राशि ही आवेदक को दी है। इस कारण विक्रयपत्र के आधार पर किया गया नामांरतण अवैधानिक होने से आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति मान्य किये जाने योग्य थी। अनावेदक का आवेदन पत्र किस धारा के अन्तर्गत था, इसका उल्लेख भी उसके द्वारा नहीं किया गया और न ही विचारण न्यायालय ने ही इस बिन्दू पर विचार किया। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं । प्रकरण में अनावेदक के नामांतरण में आवश्यक पक्षकार बृजभूषण तथा संतोषीलाल भी है। उन्हें भी पक्षकार न बनाये जाने के कारण भी असंयोजन के दोष के कारण प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं था। इस कारण भी आवेदक का

आवेदन पत्र प्रचलन योग्य मान्य किये जाने में विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कों का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कहा गया है कि अनावेदक के द्वारा लगभग 33 वर्ष बाद नामांतरण पंजी क्रमांक 126 दिनांक 05.03.1982 आदेश दिनांक 01.09.1982 के संबंध में संशोधन प्रविष्टी हेतु आवेदन पत्र पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत धारा 32 रै.को. एवं धारा 151 सी.पी.सी. निरस्त करना विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधिकारहित है । उक्त नामांतरण पंजी पर किये गये नामांतरण में आम इश्तहार का विधिवत न होना तथा हितधारी व्यक्ति एवं आवेदक को सूचनापत्र दिये बिना नामांतरण पंजी पर किया गया नामांतरण आदेश शून्य है। आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रकरण में संलग्न विक्रय पत्र की छायाप्रति दिनांक 03.05.1978 से अनावेदक द्वारा भूमि क्रय की है, जिसका नामांतरण पंजी क्र0 126 दिनांक 05.03.1982 से नामांतरण स्वीकार होना पाया गया है। जिसका खसरा संवत 2036 लगायत 2040 के खसरा पांचसाला में होना पाया गया है। इसी आधार पर तहसीलदार ने अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना करते हुये अनावेदक के हित में आदेश पारित किया है। अतः मैं तहसीलदार, मुरैना के द्वारा पारित आदेश से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि तहसीलदार, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 159/2014–15/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 31–12–2015 विधिसंगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः तहसीलदार, मुरैना का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर